न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 123 / 2023

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र पदमाराम
2. अणदाराम पुत्र पदमाराम
3. खीयाराम पुत्र अमराराम
4. जसाराम पुत्र अमराराम
5. डालूराम पुत्र सुरताराम
6. देराजराम पुत्र मगाराम
7. नेनूदेवी पत्नि सुरताराम
8. भीखाराम पुत्र सुरताराम
9. रिड़माराम पुत्र सुरताराम
10. सवाराम पुत्र सुरताराम
11. सोनाराम पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. सोनाराम पुत्र दीपाराम उम्र 50 वर्ष
2. अचलाराम पुत्र भोलाराम उम्र 25 वर्ष
3. चौथाराम पुत्र हेमाराम उम्र 70 वर्ष
4. जैयाराम पुत्र अजाराम उम्र 35 वर्ष
5. जोराराम पुत्र अजाराम उम्र 37 वर्ष
6. दलू पत्नि भोलाराम उम्र 45 वर्ष
7. दलूदेवी पत्नि जोगाराम उम्र 45 वर्ष
8. धनी पत्नि मालाराम उम्र 65 वर्ष
9. पेमाराम पुत्र देराजराम उम्र 47 वर्ष
10. मूलाराम पुत्र भोलाराम उम्र 47 वर्ष
11. मूलीदेवी पत्नि अजाराम उम्र 78 वर्ष
12. राणाराम पुत्र मालाराम उम्र 35 वर्ष
13. अणदाराम पुत्र जोगाराम उम्र 30 वर्ष
14. सताराम पुत्र मालाराम उम्र 28 वर्ष
15. हड़मानराम पुत्र देराजराम उम्र 37 वर्ष
16. हीराराम पुत्र मालाराम उम्र 27 वर्ष
17. अनुदेवी पत्नि देराजराम उम्र 70 वर्ष
18. चोखाराम पुत्र दीपाराम उम्र 70 वर्ष
19. गजाराम पुत्र चौखाराम उम्र 50 वर्ष
20. मोटाराम पुत्र देवाराम उम्र 55 वर्ष
21. मोहनराम पुत्र हरदानराम उम्र 42 वर्ष
22. राणाराम पुत्र भगाराम उम्र 36 वर्ष
23. रायाराम पुत्र हरदानराम उम्र 36 वर्ष
24. वरधाराम पुत्र भगाराम उम्र 32 वर्ष
25. चेलाराम पुत्र देवाराम उम्र 65 वर्ष
26. दूदाराम पुत्र चौखाराम उम्र 45 वर्ष
27. नेनुदेवी पत्नि भगाराम उम्र 48 वर्ष
28. पूराराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
29. भैराराम पुत्र हरदानराम उम्र 42 वर्ष
30. मिस[illegible] पुत्र चौखाराम उम्र 47 वर्ष
31. [illegible] पुत्र धनाराम उम्र 70 वर्ष
32. [illegible] उम्र 50 वर्ष
33. [illegible] पुत्र पदमाराम उम्र 56 वर्ष
34. [illegible]वराम पुत्र पदमाराम उम्र [illegible]
35. लूम्बाराम पुत्र पदमाराम उम्र [illegible]
36. राणाराम पुत्र सवाराम उम्र 55 वर्ष
37. राणाराम पुत्र भीमाराम उम्र 50 वर्ष
38. वगताराम पुत्र टीकमाराम उम्र 65 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

39. जैताराम पुत्र अमलाराम उम्र 76 वर्ष
40. मंगलाराम पुत्र अमलाराम उम्र 70 वर्ष
41. भैराजराम पुत्र आम्बाराम उम्र 60 वर्ष
42. दीपाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 64 वर्ष
43. गंगाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62 वर्ष
44. हनुमानराम पुत्र आम्बाराम उम्र 48 वर्ष
45. नानूदेवी पत्नि आम्बाराम उम्र 76 वर्ष
जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
46. भंवरीदेवी पत्नि सोनाराम उम्र 45 वर्ष
47. भूराराम पुत्र सोनाराम
48. सांवलाराम पुत्र सोनाराम उम्र 60 वर्ष
जातियान कलबी निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
49. तनसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 35 वर्ष
50. नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 40 वर्ष
51. नारायणसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 40 वर्ष
52. बलवन्तसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 75 वर्ष
53. भंवरसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 57 वर्ष
54. मदनसिंह पुत्र राणसिंह उम्र 45 वर्ष
55. मोधोसिंह पुत्र लालसिंह उम्र 55 वर्ष
56. मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 57 वर्ष
57. लक्ष्मणसिंह पुत्र गजेसिंह उम्र 53 वर्ष
58. लाखूसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 70 वर्ष
59. ईशवरसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 65 वर्ष
60. सरदारसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 53 वर्ष
61. उदयसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 65 वर्ष
62. कंवरसिंह पुत्र राणसिंह उम्र 35 वर्ष
63. गुमानसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 40 वर्ष
64. चौलसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 47 वर्ष
65. जबरसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 43 वर्ष
66. जीवराजसिंह पुत्र सरदारसिंह उम्र 70 वर्ष
जातियान राजपूत निवासी बामणी हाल निवासी सि[illegible]सीरा तहसील सिणधरी जिला [illegible]
67. तहसीलदार सि[illegible] जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1 संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा मौजा बामणी के खेत खसरा संख्या 132 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के रोढा रोढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा मौजा बामणी के खेत खसरा संख्या 132 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा मौजा बामणी के खेत खसरा संख्या 132 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के रोढा रोढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माते या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण [illegible] सिणधरी पटवार मण्डल धनवा मौजा बामणी के खेत खसरा संख्या [illegible] खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:09 IST
Reason: SelfAttested

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धनवा

मौजा बान्नी के खेत खसरा संख्या 132 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है.जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है.और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतन्त्र है.जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है.इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती.तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सुरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डन्ना मौजा बान्नी के खेत खसरा संख्या 132 रकबा 1.2782 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 3.9398 हैक्टेयर, खसरा संख्या 228 रकबा 12.0379 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखन स्थापित करते हुए नेखनबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है.उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

[illegible] अधिकारी,सिणधरी

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी